



Ref. No.....

Date..... 21/04/20

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत

(1) दैवीय सिद्धांत — राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं जिसमें दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन है। सभी प्राचीन सभ्यता और साहित्य में इसका

उल्लेख किसी-न-किसी रूप में मिलता है। भारत में, इजराइल में, मिस्र में, चीन में, इत्यादि सभी प्राचीन सभ्यताओं में राज्य को दैवीय माना गया है। यद्यपि प्राचीन विश्व बहुत धार्मिक था और ईश्वर की अथवा शक्ति से लोग अभिभूत थे। वे अनेक वस्तुओं और संस्थाओं की उत्पत्ति में ईश्वर की प्रेरणा देखते थे। और उस वस्तु में ईश्वर को रूप। इस दृष्टि में उन्हें लगा कि राज्य भी ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के प्रतिनिधियों द्वारा यह संचालित भी है।

संभवतः इस सिद्धान्त की सबसे पहली घोषणा यहूदियों के धर्मग्रन्थ में की गई। इसमें कहा गया है कि ईश्वर स्वयं राजाओं को चुनता है, नियुक्त करता है, हटाता है और समय, परिस्थिति के अनुसार उन्हें दण्डित भी करता है। प्राचीन इजराइल राज्य की स्थापना ही ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार ईश्वर के आदेश के अनुसार हुई।

भारत में भी 'महाभारत' में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय रूप का उल्लेख किया गया है। 'महाभारत' के शान्ति पर्व में लिखा है कि शुरु में अराजकता विद्यमान थी, दुःखी लोग ईश्वर के पास गए और उन्होंने ईश्वर से मार्गवा की कि वे उन्हें कोई ऐसा शासक दें जो उन्हें अराजकता से मुक्त करा सके। उन्होंने कहा "हे भगु! प्राणियों के बिना हमारा विनाश हो रहा है, हम सब प्राणियों का प्रदान करें, हम सब मिलकर उसकी पूजा करेंगे और वह हमारा राजा करेगा।" ईश्वर ने दुःखी लोगों की बात मान ली और गड को राजा बनाकर स्वर्ग पर भेजा। गड को 'गडसूक्ति' में तथा अन्य भारतीय ग्रन्थों में भी ईश्वर इस प्रकार के राज्य देवत्व का वर्णन मिलता है। यद्यपि वैदिक साहित्य में राज्य के देवत्व का उल्लेख नहीं है परन्तु 'अथर्व वेद' में राजा परीक्षित



Ref. No.....

Date 21/04/20.....

को देवता माना गया है। स्थिति और उराणों में भी राजा के देवीय सिद्धांत का स्थान-स्थान पर प्रतिपादन किया गया है।

देवीय सिद्धांत की विशेषताएँ - राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के तीन मुख्य मान्यताएँ या विशेषताएँ प्रचलित हैं, जो इस प्रकार दृष्टज्य हैं-

(A) **राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई** - इस सिद्धांत की पहली प्रमुख मान्यता यह है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है। राज्य एक देवीय संस्था है। जिस तरह ईश्वर ने सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की, जिस तरह उसने पशु, पक्षी और मनुष्य बनाए, जिस तरह उसने धरती, आकाश और परलोक बनाए, उसी तरह सर्व शक्तिमान भूगणान ने मनुष्य के कष्ट दूर करने के लिए राज्य की रचना की। डॉ. आशीर्वादम् के शब्दों में - "इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर अपना किसी अन्य देवीय शक्ति द्वारा होती है और वह उस पर शासन करता है।"

(B) **राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है** - इस सिद्धांत की दूसरी मान्यता या विशेषता यह है कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। वह ईश्वर की ओर से विशेष रूप से लोगों पर शासन करने के लिए भेजा गया है। उसकी शक्तियों का स्रोत ईश्वर ही है। इंग्लैंड के स्टुवर्ट सम्राट जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक 'स्वतंत्र राजतंत्रों का कानून' में राजा के देवीय स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए उद्युक्त है कि "राजा लोग पृथ्वी पर सारे ईश्वर की सौंस लेती हुई प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए उन्हें ईश्वर कहना चाहिए।" जिस प्रकार यह विवाद निरर्थक एवं नास्तिकतापूर्ण है कि ईश्वर क्या कर सकता है? और क्या नहीं कर सकता है? उसी तरह यह विवाद भी निरर्थक है कि राजा क्या